International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 12 Issue 3||March, 2023 || PP. 125-127

सुषासन की ओर कदम (हमारी भूमिका)

डॉ. अलका जोशी

प्रस्तावना

सुशासन का सामान्य अर्थ है अच्छा शासन –

वह साधन जो जनता की अपेक्षा पर खरा हो वो सुशासन माना जाताहै। विश्व बैंक रिपोर्ट 1992 ने सुशासन की नयी अवधारणा का प्रतिपादन किया
कौटिल्य – राजा का लक्ष्य केवल जनता का हित व कल्याण करना है
अलेक्ज़ेंडर – सरकार वही अच्छी है जिसका प्रशासन अच्छा हों
डैविड ऑसबोर्न एंड ट्रेडगैबलर – सुशासन को उद्यमी सरकार का प्रायवाची मानते हुए शासन की कल्पना की जिसमें 10 विशेषताएँ पाई जाती है।

1. उत्प्रेरक सरकार
2. समुदाय आधारित सरकार
3. प्रतिस्पर्धी सरकार
4. सेवा प्रायोजित सरकार
5. परिमाणन्मुखी सरकार
6. ग्राहकोन्मुखी सरकार
7. उद्यमी सरकार
8. पूर्वाअनुमान लगानेवाली सरकार
9. विकेंद्रित सरकार
10. बाज़ारोन्मुखी सरकार

भारत में सुशासन दिवस –

भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस की शुरुआत की

सुशासन के सिद्धांत –

1. भागीदारी
2. समानता एवं समावेशिता
3. क़ानून का शासन
4. पारदर्शिता
5. प्रभावशीलता एवं दक्षता
6. जवाब देही
7. सर्व सम्मति
8. अनुक्रियता

1. भागीदारी – सुशासन ने जनता की भागीदारी होना आवश्यक है जिसमे संघ और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हों।

2. समानता एवं समावेशिता – सभी को समान अवसर प्राप्त होने चाहिये। किसी भी तरह का भेद भाव न हो तभी एक सुशासन की स्थापना की जा सकती है।

3. क़ानून का शासन – क़ानूनी ढाँचा निष्पक्ष रूप से लागू किया जाना चाहिए ।

4. पार दर्शिता – सरकार द्वारा नीतियों का वहन पारदर्शी तरीके से होना चाहिए ।

5. प्रभाव शीलता एवं दक्षता – संसाधनों का प्रभावी रूप से उपयोग किया जाना चाहिये। सुशासन में कर्मचारी अपनी योग्यता एवं दक्षता के द्वारा बेहतर नीतियों का निर्माण करें।

6. जवाब देही – सरकारी संस्थाओं की जनता के प्रति जवाब देही होनी चाहिए क्योंकि सुशासन का लक्ष्य जनता के प्रति उत्तरदायी होना है।

7. सर्व सम्मति – सभी की प्रगति और सहभागिता को देख निर्णय लेना चाहिए ।

8. अनुक्रियता – संस्थाओं द्वारा योजनाओं व नीतियों को उचित समय पर क्रियान्वित करना चाहिए।

आवश्यकता और महत्व

भारत में सुशासन के लिए पहल

भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया। सूचना का अधिकार पारित होने से सरकारी कार्यों में पारदर्शिता एवं खुलेंपन को बढ़ावा मिला है।

सरकारी कार्यालय द्वारा नागरिकों को 30 दिनों के भीतर माँगी गई सूचना – सूचना के अधिकार के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई जाती है।

डिजिटल इंडिया की परिकल्पना केंद्र सरकार के अनेक मंत्रालयों व विभागों को साथ लेते हुए प्रोद्योगिकी विकास का व्यापक लक्ष्य को पूरा करने के लिये की गई है जिन पर सरकार विशेष रूप से काम करती है।

- बेटी बचाओ
- ई पंचायत अभियान
- ई हॉस्पिटल एप्लीकेशन
- फ़सल बीमा के लिए मोबाइल ऐप
- ई पाठशाला पोर्टल
- महिलाओं के लिए हिम्मत ऐप
- गर्भवती महिलाओं के लिए ओजस पोर्टल
- ई – ग्रंथालय
- गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क

यह ई गवर्नेंस परियोजनाएँ समाज, सरकार, कारोबार और विभिन्न क्षेत्रों में सुलभ परिणाम दें रही है।

- पुलिस सुधार – नागरिकों की आपात कालीन सुरक्षा के लिये एक सामान्य राष्ट्र व्यापी आपातकालीन नम्बर को शुरू किया गया।

- सुशासन इंडेक्स – 25 दिसंबर 2019 को सुशासन दिवस के अवसर पर इसे शुरू किया गया।

- नीतिआयोग – 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की गई। जो सहकारी संघवाद के युग की शुरुआत है।

ऑनलाइन पंजीकरण व प्रशासन में कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था
सरकार की कल्याण कारी योजनाओं की जानकारी व ऑनलाइन पंजीकरण सुशासन व ई गवर्नेंस के कारण संभव हुआ है। केंद्र सरकार ने रेलवे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास, विष्व विद्यालय अनुदान आयोग जैसे अनेक विभागों व मंत्रालयों में प्रशासन द्वारा कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था को लागू कर दिया गया।

निष्कर्ष और सुझाव

सुशासन में टीमवर्क, पारदर्शिता और परिवर्तनशीलता के साथ कार्यप्रणाली को बनाने की समझ
टीमवर्क – एक लक्ष्य जिसको पूरा करने के लिए एक समूह सहयोगी रूप से प्रयास करता है टीम वर्क केवल खेल में ही नहीं बल्कि हर एक काम में सफलता दिलाता है।

सुशासन में यदि टीमवर्क की बात करें तो कर्मचारी और अधिकारी दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है दोनों आपसी समझ और सामंजस्य से वार्तालाप कर के किसी भी योजना का प्रभावी प्रबंधन और क्रियान्वयन कर सकते हैं इस से उनके कार्य शैली में रचनात्मकता एवं नए कुछ सीखने को बढ़ावा मिलता।

टीमवर्क की विशेषता –
1. कार्यों का शीघ्रता पूर्ण समापन
2. रचनात्मकता में वृद्धि
3. मनोबल में वृद्धि
4. सहयोग पूर्ण वातावरण

- हेनरी फेयोल के द्वारा यह परिभाषित किया गया है की एक संगठन में केवल एक अधिकारी से ही आदेश मिलना चाहिए अगर संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो एक अधिकारी से ही आदेश मिलना चाहिए।
- कार्यों में पारदर्शिता – प्रशासन में कार्यों के प्रति पारदर्शिता होनी चाहिए जनता को जानकारियों मुहैया कराने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए मुहैया कराई जाने वाली समस्त जानकारियां निष्पक्ष एवं सत्य पर आधारित होनी चाहिए ।
- समय बद्वता – सरकारी संस्थान को समय पर संपूर्ण गतिविधि को पूरा करना चाहिए इसके लिए एक व्यापक नीति बनानी चाहिए जिसमें एक निष्पक्ष अधिकारी और कार्यशील कर्मचारी मौजूद हो।
- परिवर्तन शीलता के साथ कार्यप्रणाली – प्रशासन की ओर बढ़ते हुए कदम में सबसे जरूरी है कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाना।

इसमें सबसे पहले ई गवर्नेंस को लाना है कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी को सरकारी संस्थानों में पूर्ण रुप से लागू करना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को कंप्यूटर आधारित कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

- लालफीताशाही – यदि सुशासन की स्थापना करनी ह तो भ्रष्टाचार और लालफीताशाही को समाप्त करना होगा।
- निर्णय क्षमता – किसी भी संगठन में कर्मचारी और अधिकारी दोनों में ही निर्णय क्षमता प्रभावी होनी चाहिए।
- अनुशासन – संगठन में कर्मचारियों और अधिकारी दोनों ही में अनुशासन होना चाहिए बिना अनुशासन के संगठन का विकास नहीं हो सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अरूणा राम : नेशनल ह्यूमन राइट्स आफ इण्डिया, नई दिल्ली 2003 वाल्यूम – 1,2

2. आर एन त्रिवेदी, भारतीय सरकार एवं राजनीति, कालेज बुक डिपो, जयपुर 2001

3. बोहरा, भूषण लाल : मानवाधिकार और पुलिसबल, षारदा प्रकाषन, नई दिल्ली 1990

4. गहलोत एन. एस : भारतीय राजनीतिक व्यवस्था दशा व दिशा, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर 2004